

रतलाम को महानगर बनाने में स्वच्छता की अहम भूमिका है

डोगरे नगर में 21.37 लाख रुपए से निर्मित कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण

रतलाम 28 फरवरी । हम नगर से महानगर की और बढ़ रहे विकास कार्यों की गति तेज हुई है, और यहां महानगर की तर्ज पर ही कार्य भी किए जा रहे हैं। मगर महानगर बनते इस शहर में रहने वालों के भी अपने कर्तव्य और फर्ज हैं। यहां के हर नागरिक को विकास कार्यों के साथ ही स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए ताकि रतलाम शहर का नाम स्वच्छता के मामले में भी उन महानगरों को चुनौति दे सके जो हमसे स्वच्छता की दौड़ में देश में आगे चल रहे हैं।

उक्त विचार रतलाम—झाबुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री गुमानसिंह डामोर ने रविवार को शहर के डोगरे नगर क्षेत्र में नवनिर्मित कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। 21.37 लाख की लागत से निर्मित इस कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण समारोह में नगर विधायक श्री चेतन्य काश्यप, भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेता भगवानदास सबनानी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह लुनेरा आदि उपस्थित रहे।

इस मौके पर विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहर के कई इलाकों में निर्मित किए गए मांगलिक भवनों के कारण आमजन को काफी सहूलियत हुई है। कई क्षेत्रों के लोगों को अब मोटी रकम अन्य मैरिज गार्डनों और मांगलिक भवनों पर खर्च नहीं करना पड़ेगी। हमारा प्रयास है कि रतलाम शहर के हर वार्ड में ऐसे भवन बनाए जाएं जो भवन हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

माननीय श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम के चौमुखी विकास के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीवरेज कार्य अंतिम चरण में है और शहर में गंदे पानी की समस्या का समुचित रूप से हल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य के रतलाम का निर्माण कर रहे हैं। 1800 हेक्टर भूमि पर औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा, यहां रीजनल एयरपोर्ट बनेगा, आने वाले दिनों अवैध कालोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। हमारा प्रयास है कि रतलाम को महानगर की श्रेणी में लाकर इसे खूबसूरत शहर बनाया जाए।

समारोह में मौजूद भाजपा के प्रादेशिक नेता माननीय श्री भगवानदास सबनानी ने कहा कि शहर में विकास की गंगा बहे और नागरिक इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। भाजपा के कार्यकाल में अनेकों जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का भरपूर लाभ आमजन को दिया जा रहा है। रतलाम शहर में मांगलिक भवनों के निर्माण से आमजन को काफी सुविधा होगी।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वागत भाषण देते हुए शहर में निर्मित किए जा रहे मांगलिक भवनों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की भी सिलसिलेवार जानकारी दी।

वार्ड की पूर्व पार्षद श्रीमती मनीषा शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र के बहुत समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए मांगलिक भवन का निर्माण किया गया है। अब यहां रियायती दरों पर नागरिकों को मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रम हो सकेंगे।

अतिथियों का स्वागत पूर्व पार्षद मनीषा मनोज शर्मा, आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, संतोष मालपानी, प्रफुल्ल पंवार, विजय, सुरेश पुरोहित, राजेन्द्र सिंह, मयूर पुरोहित, बाबूलाल, हितेश जैन आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज शर्मा ने किया और आभार मयूर पुरोहित ने माना।

लोकार्पण अवसर पर भाजपा नेता बजरंग पुरोहित, मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, अनिता कटारिया, प्रवीण सोनी, पवन सोमानी, प्रहलाद पटेट, संतोष पोरवाल, दिनेश शर्मा, आदित्य डागा, गोविन्द काकानी, अनिता कटारा, ललिता पंवार, सत्यदीप भट्ट आदि उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए।

गीले कचरे से खाद बनाना बहुत आसान है

‘स्वच्छता संकल्प देश का, हर रविवार विशेष सा’ के तहत

नागरिकों को गीले कचरे से खाद बनाने हेतु प्रेरित किया

रत्नाम 28 फरवरी। प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता से संबंधित जनअभियान के तहत साप्ताहिक मेगा ईवेंट ‘‘स्वच्छता संकल्प देश का, हर रविवार विशेष सा’’ के तहत मोहन टॉकिंज क्षेत्र में “यह तो बड़ा आसान है” है कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग हेतु जागरूक किया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि रत्नाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 सिर्फ नागरिक ही बना सकते हैं इस हेतु नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। नगर के नागरिक अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे से अपने घर में ही जैविक खाद बनाकर कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही कचरे का निष्पादन कर पेड़-पौधों के लिये लाभकारी जैविक खाद बना सकते हैं।

आयोजित कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से चार प्रकार के कचरे क्रमशः गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, दुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्र्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंटिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में सहयोग की अपील की।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया व नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों उपस्थितजनों को गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया व अनवट ऐरव समिति के स्वच्छता चैम्पियनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री निलेश गांधी, स्वच्छता सलाहकार श्री प्रतीक मिश्रा, निगम अधिकारी श्री एम.के. जैन, श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े के अलावा सर्वश्री अशोक शर्मा, रवि पवांर, मनोज शर्मा, नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सर्वश्री फिरोज परवेज, राहूल सिंह राठौर, स्वागत मेहता, चेतन परिहार सहित रहवासी उपस्थित थे।

जिम्मेदार नागरिक बन निभाएं अपना कर्तव्य

स्वच्छ सर्वेक्षण –2021 के तहत रविवार को आयोजित विशेष स्वच्छता

जागरूकता कार्यक्रमों के तहत नागरिकों ने बताई अपनी राय

रत्नाम 28 फरवरी। नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी व दायित्वबोध का अभाव ही शहर में गंदगी फैलने का कारण बन रहा है। दूषित वातावरण में स्वस्थ शहर का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। जब तक समाज स्वस्थ होगा तभी माहौल स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ रत्नाम— सुंदर रत्नाम की मुहिम का आगाज एक सराहनीय कदम है। स्वच्छता के प्रति हर एक नागरिक को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही इस मुहिम कई लोग सहयोग दे रहे हैं।

इस बारे में सफाई मिज समूह ने रविवार को शहर के आधा दर्जन कचरामुक्त क्षेत्रों में रांगोली निर्माण कर लोगों से दीपदान कराया जाकर मौके पर मौजूद अलग-अलग वर्ग के लोगों के विचार जानने की कोशिश की गई।

डॉ. आशीष चौरसिया का कहना है कि आस-पास फैली गंदगी कई बीमारियों को जन्म देती है। गंदगी की वजह से लोगों में पेट की बीमारियां, टाइफाइड, उलटी, दस्त व आंत के भयानक रोग होने का भी खतरा बना रहता है। लोगों को चाहिए कि वह अपने आस-पास सफाई रखें। जिससे बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सके।

'सड़क पर न फेंके गंदगी'

व्यापारी राकेश मालपानी का कहना है कि जैसे हम घरों को साफ रखते हैं उसी तरह अपने इलाके को भी साफ रखना हमारा कर्तव्य है। जिम्मेदार नागरिक होने के चलते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब इस सफाई अभियान में निगम प्रशासन का सहयोग दें। अपने घरों का कचरा बाहर सड़कों पर फेंकने की बजाए निगम द्वारा रखे गए डंप में फैंके। शहर तब ही स्वच्छ रहेगा जब हर नागरिक सफाई के प्रति अपने फर्ज को समझे।

नीरज गुगलिया का कहना है कि नगर निगम की ओर से चलाई जा रही स्वच्छ भारत स्वस्थ सर्वेक्षण मुहिम के तहत पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अपने आसपास अगर स्वच्छता रहेगी तो तन मन भी स्वस्थ रहेगा। शहरवासी भी अपनी दायित्व को समझते हुए इस अभियान में सहयोग करे। सब को सफाई की आदत डालनी चाहिए।

गृहणी अनु पाठक का कहना है कि स्वच्छ सोच ही स्वच्छ समाज का निर्माण करती है। अपने दायित्व को समझते हुए हर नागरिक अपने इलाके को साफ सुधरा रखें। हर देशवासी के इस मुहिम को ऐसे ही जारी रखने से शहर खुद ही स्वच्छ बनेगा।

अध्यापक संदीप शर्मा का कहना है कि अपने घरों को साफ सुधरा रखने के लिए तो हर कोई चिंतित रहता है। मगर जब बात मोहल्ले या शहर की आती है तो वहां हमारी सोच में अंतर आ जाता है। सार्वजनिक स्थल पर हम गंदगी मचाने में कोई हिचक महसूस नहीं करते। हमें पहले खुद जागरूक होने की जरूरत है। हर शहरवासी को प्रण लेना चाहिए कि वह अपने आस पास स्वच्छ माहौल बना कर रखे।

धानमण्डी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 40,41,144/- संपत्तिकर व 8,40,090/- जलकर जमा कराया

रतलाम 28 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-,

लवकड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 1,20,000/- व जलकर 17,000/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 40,41,144/- संपत्तिकर व 8,40,090/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिंज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरु, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालों की सूचना दल को दें

रतलाम 28 फरवरी। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे, मनोज झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाइल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

अनुपस्थित 28 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 28 फरवरी। नगर के विभिन्न वार्डों के सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान 28 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान मनीष—मुकेश, विमला—बाबुलाल, विष्णुबाई—मुकेश, राजबाई—राजेन्द्र, श्रद्धाबाई—दिनेश, मीनाबाई—मनोज वार्ड क्रमांक 1, जितेन्द्र—छोटेलाल वार्ड क्रमांक 2, श्रवण—भरत, मिथुन—जगदीश, मनोज—देवकरण वार्ड क्रमांक 3, भारती—विमलेश वार्ड क्रमांक 4, रेखा—महादेव, मुकेश—लालाराम वार्ड क्रमांक 5, ऋषि—मोहनलाल वार्ड क्रमांक 6, पंकज—चत्तरपाल, सतीश—राजेन्द्र, अर्जून—राजेश वार्ड क्रमांक 8, इन्दर—मनोहर, हरिओम—मनोहर वार्ड क्रमांक 9, राकेश—अशोक, विशाल—मुकेश वार्ड क्रमांक 13, अजय—बाबुलाल वार्ड क्रमांक 16, लोकेश—दिनेश वार्ड क्रमांक 20, प्रशांत—महेश वार्ड क्रमांक 22, सन्नी—जगदीश, रोहित—प्रभुलाल, सरस्वती—धनराज, लता—प्रभुलाल वार्ड क्रमांक 29, पुष्पेन्द्र—दिनेश वार्ड क्रमांक 44 द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही रतलाम 28 फरवरी। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 28 फरवरी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 28 फरवरी। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके

पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रत्नाम 28 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 28.02.2021 / न.पा.निगम, रत्नाम.